कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत पीरो
जिला– भोजपुर

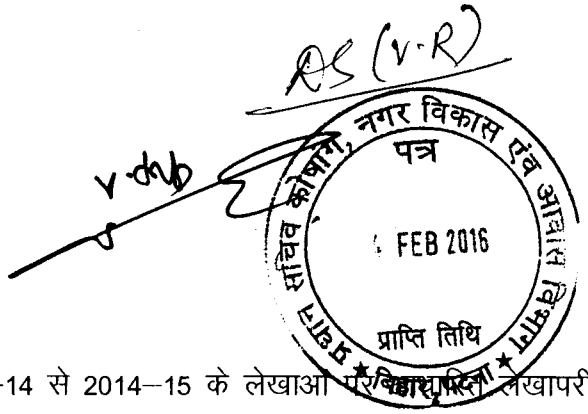


महाशय,

नगर पंचायत पीरो के वर्ष 2013–14 से 2014–15 के लेखाओं पर निरीक्षित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1080 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

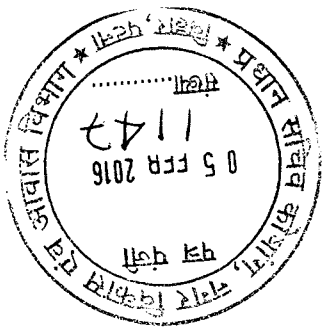

भवदीय,

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 1453 / दिनांक–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, भोजपुर

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

# नगर पंचायत, पीरो
# अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 1080/15–16
# (अवधि–2013–14 एवं 2014–15)

## भाग 1

## प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :– नगर पंचायत पीरो
2. लेखा की अवधि :– 2013–2014 से 2014–15
3. लेखापरीक्षा का उद्देश्य :– अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किये गये पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– 1 में एवं अप्रस्तुत व प्रस्तुत अभिलेख जिनकी जांच नहीं की गई, की सूची परिशिष्ट– 2 पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :– 13.05.15 से 19.05.15

5. **1) कार्यपालक पदाधिकारी** — **अवधि**
   - क) श्री वीरेन्द्र कुमार — 01.04.2013 से 18.2.2014
   - ख) श्री विनय कुमार — 19.02.2014 से 08.07.2014
   - ग) श्री योगेन्द्र पाण्डेय — 09.07.2014 से 31.03.15

   **2) अध्यक्ष** — **अवधि**
   - क) श्री संतोष कुमार — 01.04.2013 से 31.03.2015

   **3) उपाध्यक्ष** — **अवधि**
   - श्रीमती फिरोजा खातुन — 01.04.2013 से 31.03.2015

6 **लेखापरीक्षा दल के सदस्य**
   1. श्री रमेश कुमार अभिषेक (ले0प0)
   2. श्री रौशन कुमार (ले0प0)
   3. श्री राजेश कुमार– 3 ( स0ले0प0अ0)

7 **पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम**– श्री प्रमोद कुमार सिंह (व0ले0प0अ0)

## 8. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के, यदि कोई हो, नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतलायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक भेजेंगे।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक स्थानीय लेखापरीक्षक कार्यालय को प्राप्त न्हीं हुआ है। अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंकेक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

अंकेक्षण दल को अवगत नहीं कराया गया कि अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अनुसार नगर पंचायत कार्यालय द्वारा कितने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विचार के लिए रखा गया था तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी थी। साथ ही, यह भी अनुरोध किया गया था कि पूर्व के लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर इस लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराया जाए लेकिन नगर पंचायत कार्यालय द्वारा इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि निर्देशानुसार अनुपालन करने की कारवाई की जा रही है।

नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए।

## 9. सामान्य अभ्युक्ति

नगर पंचायत पीरो की लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान पंजी,अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। मॉग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृति कर की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाएँ। नगर पंचायत पीरो प्रशासन से आग्रह है कि इसके संधारण के प्रयास किए जाएँ। अवरोधित राशि का उपयोग नही किया जा रहा था। नगर पंचायत शासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतू विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

**10 कार्यपालक से वार्तालाप की गईः–** हाँ (22.05.2015)

**11 लेखापरीक्षा का परिणामः–**

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि–शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि– ₹ 3414357.00

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– ₹ 37140143.00

विस्तृत विवरणी विवरण सं0–7 पर है।

**12 बजट :–**

**i-बजट प्राक्कलन निर्धारित अवधि में पारित नहीं किया जाना**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगर निकाय, बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो, पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगर निकाय को लौटा देगी।

नगर पंचायत बोर्ड की दिनांक 23.2.13 की बैठक में वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा दिनांक 24.5.14 को वित्तीय वर्ष 2014–15 का बजट पारित किया गया था। जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को नहीं भेजा गया था।

इस संबंध में अंकेक्षण में निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था:–

1. वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट प्राक्कलन को प्रावधानों के अनुसार दिनांक 15.03.2014 तक बोर्ड द्वारा पारित क्यों नहीं किया गया था?
2. जब बजट प्राक्कलन सरकार को नहीं भेजा गया था तो सरकार द्वारा कैसे इस पर विचार कर मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगर निगम पंचायत को लौटा दिया जाता। बजट प्राक्कलन सरकार को नहीं भेजने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।
3. नगर पंचायत द्वारा न तो वार्षिक लेखा बनाया गया है तथा न ही आय–व्यय का मदवार कोई लेखा रखा गया है। अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाए कि बजट के अनुकूल नगर पंचायत द्वारा आय–व्यय हुआ कि नहीं, की तुलना अंकेक्षण में किन अभिलेखों से किया जाए।

इसके जवाब में नगर पंचायत कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में बजट को निर्धारित अवधि में पारित कराने की कार्रवाई की जायेगी तथा सरकार में भेजा जाएगा।

नगर पंचायत कार्यालय का जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि आपत्तियों का बिन्दुवार जवाब नहीं दिया गया तथा न ही कारणों को बताया गया। अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि कारणों को ज्ञात कर कमियों को दूर किया जाए तथा भविष्य में प्रावधानों के अनुरूप बजट प्राक्कलन की प्रकिया को पूर्ण किया जाए।

**ii-बजट प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र में नहीं बनाया जाना**

वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 में दिये गये प्रारूप में बनाना था तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 का बजट बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम– 136 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु नगरपालिका की अनुमानित प्राप्ति तथा भुगतान का वार्षिक अनुमान बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–77 में तैयार किया जाना है। इसके अतिरिक्त नियम–134(10) के अनुसार बजट प्राक्कलन से संबंधित विवरणों को बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–75 से 80 के प्रारूप में बनाया जाना है।

लेकिन अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत, पीरो द्वारा पारित बजट निर्धारित प्रपत्रों में नहीं बनाया गया था।

**बजट बनाने में सार्वजनिक सहभागिता नहीं**

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–132 के अनुसार वार्ड समिति या अन्य नागरिक संस्थानों द्वारा आगामी वर्ष हेतु प्रत्येक वार्ड के नागरिकों की राय इकट्ठी की जायेगी। मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी 15 जनवरी से पहले नागरिक सभा के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के अनुमानित आय तथा व्यय नागरिकों के समक्ष उनकी टिप्पणी एवं विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। नगरपालिका के सभी विभागों के प्रमुख तथा सशक्त स्थानीय समिति के सारे सदस्य उपस्थित रहकर इसमें भाग लेंगे। नागरिकों के सुझाव, विचारों को वार्षिक बजट बनाते समय गम्भीरता से विचार किया जाना है।

लेकिन अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत, पीरो द्वारा बजट बनाते समय लेखा नियमावली, 2014 के नियम– 132 का पालन नहीं किया गया था। इसके कारण बजट में सार्वजनिक सहभागिता शामिल नहीं हो पायी तथा बजट नागरिकों के मूल्यवान सुझावों एवं विचारों से वंचित रह गया।

**बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं**

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–139 के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति बजट का अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर यह जॉच करेगी कि बजट निर्देशित मार्ग पर ही हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है। साथ ही, समिति यह भी देखेगी कि बजट के विश्लेषण में वास्तव में पॉच प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं है।

लेकिन अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत, पीरो द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं की गयी थी तथा बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय–व्यय में अत्यधिक अंतर था।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के संबंध में नगर पंचायत कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में बजट प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र में बनाया जायेगा तथा बजट निर्माण संबंधी सभी अनुदेशों एवं नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

नगर पंचायत कार्यालय का जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि आपत्तियों का बिन्दुवार जवाब नहीं दिया गया तथा न ही कारणों को बताया गया। अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि कारणों को ज्ञात कर कमियों को दूर किया जाए तथा भविष्य में प्रावधानों के अनुरूप बजट प्राक्कलन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए।

**iii-बजट प्राक्कलन के विरूद्ध कम लक्ष्यों की प्राप्ति**

नगर पंचयात, पीरो द्वारा वार्षिक लेखा (नियम 82 तथा 83), वित्तीय विवरण (धारा 88) एवं तुलन पत्र (धारा 89) का संधारण नहीं किया गया था। इसके कारण अंकेक्षण द्वारा बजट में दर्शाये गये प्राप्तियों तथा व्ययों का वास्तविक आय–व्यय से शीर्षवार तुलना नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण में नगर पंचायत कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के प्रस्तुत रोकड़बहियों में दर्शाये गये प्राप्तियों एवं व्ययों की तुलना बजट में दर्शाये गये अनुमानित आय–व्यय से करने पर पाया गया कि इन दोनों वित्तीय वर्षों में बजट प्रावधानों के विरूद्ध नगर पंचायत कार्यालय द्वारा कम लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2013–14 | वित्तीय वर्ष 2014–15 |
|---|---|---|
| बजट के अनुसार अनुमानित प्राप्ति | 111961090 | 49686825 |
| वास्तविक आय | 35340916 | 43621625 |
| **बजट का प्रतिशत** | **32 प्रतिशत** | **88 प्रतिशत** |
| बजट के अनुसार अनुमानित व्यय | 112313813 | 49815325 |
| वास्तविक व्यय | 14213365 | 28739971 |
| **बजट का प्रतिशत** | **13 प्रतिशत** | **58 प्रतिशत** |

बजट प्राक्कलन बनाने की प्रकिया के अनुसार प्राक्कलन में दर्शाये गये राशि के विरूद्ध पॉच प्रतिशत से अधिक राशि का विचलन (कम/अधिक) नहीं होना चाहिए। लेकिन नगर पंचायत, पीरो द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में पारित बजट प्रावधानों के विरूद्ध आय तथा व्यय में 12 से 87 प्रतिशत का विचलन पाया गया।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका लेखा समिति बजट का अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर यह जॉच करेगी कि बजट निर्देशित मार्ग पर ही हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है। लेकिन नगर पंचायत कार्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया था।

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि बजट के अनुकूल लक्ष्यों को प्राप्त करने संबंधी कार्रवाई की जायेगी।

नगर पंचायत कार्यालय का जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने के कारणों को जवाब में नहीं बताया गया। अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि कारणों को ज्ञात कर कमियों को दूर किया जाए तथा भविष्य में बजट के अनुरूप लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।

**13.वार्षिक लेखा का संधारण नहीं**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 तथा 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय–व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–120 के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान का मासिक विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–71 में तैयार करना है तथा नियम–122 के तहत प्राप्ति तथा भुगतान लेखा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–71, आय तथा व्यय विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–73 एवं आर्थिक चिट्ठा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–74 में संधारित करना है।

लेकिन नगर पंचायत, पीरो द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 का न तो वित्तीय विवरण तथा न ही वार्षिक लेखा का संधारण किया गया था।

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि निर्देशानुसार कार्रवाई की जायेगी।

नगर पंचायत कार्यालय का जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि वार्षिक लेखा संधारण नहीं करने के कारणों को नहीं बताया गया। अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि कारणों को ज्ञात कर कमियों को दूर किया जाए तथा भविष्य में प्रावधानों के अनुरूप वार्षिक लेखा का संधारण किया जाए।

14. **आय–व्यय** :–

| | **2013–14** | **2014–15** |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 38195761 | 59025712 |
| प्राप्ति | 35184268 | 43657506 |
| कुल | 73380029 | 102683218 |
| व्यय | 14354317 | 28832852 |
| अंतशेष | 59025712 | 73850366 |

नगर पंचायत, पीरो द्वारा वार्षिक लेखा अनुदान पंजी एवं आय–व्यय तैयार नहीं किया गया था । परंतु लेखापरीक्षा में सामान्य रोकड़ बही प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार आय–व्यय तैयार किया गया है (विस्तृत विवरण संलग्न 3 )।

**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति**

(i) बिहार नगर पालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 12(i) के अनुसार नगर पंचायत को रोकड़ बही निर्धारित प्रपत्र बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र सं0–1 में संधारित करना है । परंतु रोकड़ बही लेखापाल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संधारित नहीं किया गया था ।

(ii) रोकड़ बही में वर्ष के अन्त में मदवार विवरणी तैयार नहीं किया गया था।

(iii) रोकड़ बही दि0–31.3.15 के अंतशेष ₹ 73850366 एवं उपलब्ध पासबुक के 31.3.15 के अंतशेष ₹ 76188236 के अंतर ₹ 2337870 (76188236 – 73850366) का समाधान विवरणी नहीं तैयार नहीं किया गया था ।

(iv) अलग–अलग मद के लिए अलग–अलग रोकड़ बही एवं पासबुक संधारित किया जाना चाहिए । परंतु बी0आर0जी0एफ0 मद के लिए दो पासबुक एवं SJSRY, 13 वीं तथा शिक्षक मानदेय से संबंधित राशि का संधारण एक ही पासबुक में किया जा रहा था । जिसके कारण संबंधित मद के वर्ष की अंतिम शेष राशि ज्ञात नहीं की जा सकी।

जवाब दिया गया कि भविष्य में लेखा संधारित किया जाएगा तथा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।

## भाग–II (क)

**1.सफाई कार्य में संवेदक को ₹ 11.53 लाख का अधिक भुगतान**

नगर पंचायत, पीरो द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र के सभी वार्डों के सफाई का कार्य कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, शिवपुरी, पटना को दिया गया था। इसके भुगतानों की जाँच में पाया गया कि इस संस्था को अलग–अलग दर से भुगतान किया गया है। इस संस्था के साथ किये गये एकरारनामा में प्रति माह भुगतान किये जाने वाली राशि का उल्लेख नहीं किया गया है तथा न ही इसका कार्यादेश अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, जिससे ज्ञात हो सके कि इस कार्य के लिए प्रति माह कितनी राशि का भुगतान किया जाना है। एकरारनामा के कंडिका 13 में यह प्रावधान किया गया है कि समय समय पर डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी अथवा मजदूरों को भुगतेय राशि में बढ़ोतरी होने पर नगर पंचायत के बोर्ड का संस्था के साथ एकरार किये गये राशि में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा इस संविदा में बिहार वित्तीय (संशोधित) नियमावली, 2005 के नियमों का पालन नहीं किया गया है तथा मनमाने तरीके से संविदा की राशि में बढ़ोतरी कर संवेदक को लाभ पहुँचाया गया है। इस नियमावली के महत्वपूर्ण नियमों जिनका पालन नहीं किया गया है का विवरण नीचे दिया गया है:–

Rule 30. General principles for contract : The following general principles should be observed while entering into contracts:

(i) The terms of contract must be precise, definite and without any ambiguities. The terms should not involve an uncertain or indefinite liability, except in the case of a cost plus contract or where there is a price variation clause in the contract.

(ii) Standard forms of contracts should be adopted wherever possible, with such modifications as are considered necessary in respect of individual contracts. The modifications should be carried out only after obtaining financial and legal advice.

And for cost plus contract following provisions are made:-

(i) Cost plus contracts should ordinarily be avoided. Where such contracts become unavoidable, full justification should be recorded before entering into the contract. Where supplies or special work covered by such cost plus contracts have to continue over a long duration, efforts should be made to convert future contracts on a firm price basis after allowing a reasonable period to the suppliers/contractors to stabilize their production /execution methods and processes. Explanation : A cost plus contract means a contract in which the price payable for supplies or services under the contract is determined on the

basis of actual cost of production of the supplies or services concerned plus profit either at a fixed rate per unit or at a fixed percentage on the actual cost of production.

(ii) (a) Price Variation Clause can be provided only in long-term contracts, where the delivery period extends beyond 18 months. In short-term contracts firm and fixed prices should be provided for. Where a price variation clause is provided, the price agreed upon should specify the base level viz, the month and year to which the price is linked, to enable variations being calculated with reference to the price levels prevailing in that month and year. (b) A formula for calculation of the price variations that have taken place between the Base level and the Scheduled Delivery Date should be included in this clause. The variations are calculated by using indices published by Governments or Chambers of Commerce periodically. An illustrative formula has been appended to these rules at Appendix -1A for guidance.

**"Formula for Price variation Clause as per Appendix-1 is as below"**

The formula for Price Variation should originally include a fixed element, a material element and a labour element. The figures representing the material element and the labour element should reflect the corresponding proportion of input costs, while the fixed element may range from 10 to 25%. That portion of the price represented by the fixed element, will not be subject to variation. The portions of the price represented by the material element and labour element alone will attract Price variation. The formula for Price Variation will thus be :

$P1 = P0 \{ F + a(M1/M0) + b(L1/L0)\} - P0$

where P1 is the adjustment amount payable to the supplier (a minus figure will indicate a reduction in the Contract Price) P0 is the Contract Price at the base level. F is the Fixed element not subject to Price variation. a is the assigned percentage to the material element in the Contract price. b is the assigned percentage to the labour element in the Contract price. L0 and L1 are the wage indices at the base month and year and at the month and year of calculation respectively. M0 and M1 are the material indices at the base month and year and at the month and year of calculation respectively. If more than one major item of material is involved, the material element can

be broken up into two or three components such as Mx, My & Mz. Where price variation clause has to be provided for services (with insignificant inputs of materials) as for example in getting Technical assistance normally paid in the form of per diem rates, the price variation formula should have only two elements viz. a high fixed element and a labour element. The fixed element can in such cases be 50% or more, depending on the markup by the supplier of the per diem rate vis-a-vis the wage rates."

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा किये गये एकरारनामे में मुख्य रूप से लेबर का खर्च जुड़ा हुआ था तथा वाहन का खर्च नगण्य था। इसलिए अगर बढ़ोतरी किया भी जाना चाहिए था तो लेबर के दर में प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर तथा वह भी 18 माह की अवधि के उपरांत। लेकिन नगर पंचायत कार्यालय द्वारा बगैर किसी नियम का पालन किये मनमाने ढंग से संवेदक को लाभान्वित कर ₹ 1153100 का अधिक भुगतान किया गया।

इस संबंध में अंकेक्षण में निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था:–

1. जब संविदा एक वर्ष के लिए की गयी थी तो उसे बगैर किसी कार्यादेश तथा शर्त के आगे क्यों बढ़ाया गया?
2. बिहार वित्तीय (संशोधित) नियमावली, 2005 के नियम 30 (vii) में इस तरह के संविदा से बचने का सुझाव दिया गया है। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा करार की अवधि बढ़ने पर दर में बढ़ोतरी का स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं किया गया?
3. उपरोक्त नियमावली के नियम (vii) (a) में प्रावधान किया गया है कि इस तरह की संविदा में संविदा का दर 18 माह तक नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन नगर पंचायत कार्यालय द्वारा करार की अवधि एक वर्ष से पूर्व ही संविदा की दर में बढ़ोतरी कर संवेदक को लाभान्वित क्यों किया गया?
4. नगर पंचायत कार्यालय द्वारा संविदा के दर में बढ़ोतरी किस आधार पर किया गया?
5. अप्रैल 2013 में सफाई कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम रू0 145 प्रति दिन नियत किया गया था जो कि अप्रैल 2015 में बढ़कर रू0 178 हुआ था अर्थात् लेबर के दर में मात्र 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुयी थी जबकि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अप्रैल 2013 की संविदा दर रू0 149500 प्रति माह को जनवरी 2015 में बढ़ाकर रू0 325000 कर दिया गया था। संविदा की दर में 117 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि किस आधार पर की गयी?
6. संविदा की दर बढ़ाने के आधार को संचिका में क्यों नहीं दर्शाया गया है तथा इसे अभिलेखित क्यों नहीं किया गया है?
7. एकरारनामा की कंडिका 9 में उल्लेख किया गया है कि संवेदक के कार्य को सफाई कमिटि के सदस्यों द्वारा अनुमोदित करने के आधार पर संवेदक को भुगतान किया जाएगा। लेकिन किसी भी माह के विपत्र भुगतान से पूर्व सफाई कमिटि के सदस्यों द्वारा भुगतान करने का अनुमोदन नहीं किया गया था। फिर किस आधार पर सफाई की गुणवत्ता जॉच कर संवेदक को भुगतान किया गया?
8. सफाई कार्य संविदा के माध्यम से कराया जा रहा है कि सूचना नागरिकों को किस प्रकार दी गयी थी? जिससे वे संवेदक द्वारा सफाई कार्य नहीं करने पर नगर पंचायत कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते?

9. नागरिकों को सफाई कार्य के प्रति जागरूक करने के लिए नगर पंचायत कार्यालय द्वारा क्या प्रयास किया गया था तथा जन शिकायत दर्ज कराने एवं उसके निष्पादन की क्या व्यवस्था की गयी थी?
10. वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में सफाई व्यवस्था पर नागरिकों द्वारा कितने शिकायंत दर्ज कराये गये थे तथा उनमें से कितने का निष्पादन किया गया?

इस संबंध में नगर पंचायत कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सफाई कार्य की बेहतरी के लिए प्रतिदिन अतिरिक्त पुरूष लेबर 30, महिला लेबर 10 कुल 40 लेबर एवं दो ट्रैक्टर, दो टेम्पु लगाने एवं बढ़ी हुई मजदूरी भुगतान हेतु नगर पंचायत समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुरूप भुगतान किया गया। ताकि सरकार के निर्देशानुसार बेहतर ढंग से 17 वार्डों में सफाई कार्य एवं नाला सफाई कार्य हो सके एवं प्रतिदिन कूड़ा कचरा का उठाव किया जा सके एवं डोर टू डोर कचरा का उठाव किया जा सके।
नगर पंचायत कार्यालय का जवाब संतोषप्रद नहीं है। निविदा आमंत्रण से पूर्व ही सभी शर्तों का उल्लेख करना होता है कि क्या कार्य करना है तथा उसकी शर्तें क्या होंगी। उसी आधार पर निविदा का दर निविदादाताओं द्वारा दिया जाता है। इस निविदा में बिहार वित्तीय (संशोधित) नियमावली, 2005 के नियम 30 का अनुपालन नहीं किया गया है तथा कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, शिवपुरी, पटना को नियमविरूद्ध पहले कम दर पर कार्य आवंटित कर अन्य निविदादाताओं को प्रतिस्पर्द्धा से बाहर कर दिया गया एवं उसके उपरांत इस संस्था को नियम विरूद्ध दरों में बढ़ोतरी कर लाभ पहुँचाया गया। इसके अतिरिक्त संस्था को दो टेम्पू भी नगर पंचायत द्वारा दिया गया था जिसके भाड़े का सामंजन भी विपत्र में नहीं किया गया था। अप्रैल 2013 से मार्च 2015 के दौरान कुल राशि ₹4741000 का भुगतान किया गया, जबकि नियमानुसार राशि ₹3588000(149500 x 24 माह) का भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार राशि 1153100 का अधिक भुगतान किया गयां। अतः सुझाव दिया जाता है को जाँचोपरांत अधिक भुगतान की वसूली संबंधित/जिम्मेदार व्यक्ति(यों) से की जायं।

**2.SJSRY प्रशिक्षण में अनियमित व्यय ₹22.90 लाख**

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–02/स्वर्ण–02/11–927/ न0वि0ए0आ0वि0 दिनांक–6.9.12 के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के युवक एवं युवतियों को विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था। नगर पंचायत पीरो द्वारा चार संस्थाओं से एकरारनामा करके प्रशिक्षण के लिए कार्यादेश निर्गत किया गया। प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को प्रतिक्षण देने के लिए कुल रू0 2285000 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न हैं :–

| कमांक | चेक सं0 | दिनांक | भुगतान की गई राशि | संस्था का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 128607 | 5.12.12 | 400000 | जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र |
| 2 | 128609 | 8.12.12 | 280000 | कृषि एजुकेशन एण्ड हेल्थ संस्थान |
| 3 | 128611 | 20.12.12 | 104000 | भोजपुर ग्रामीण विकास परिषद |
| 4 | 128612 | 5.1.13 | 104000 | स्टारवे इंटरनेशनल |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 128614 | 14.1.13 | 104000 | –तथैव– |
| 6 | 602702 | 8.4.13 | 195000 | कृषि एजुकेशन एण्ड हेल्थ संस्थान |
| 7 | 128618 | 7.6.13 | 234000 | जनहित संस्थान |
| 8 | 128619 | 7.6.13 | 324000 | जनहित संस्थान |
| 9 | 476376 | 11.6.13 | 324000 | कृषि एजुकेशन एण्ड हेल्थ संस्थान(टूल्स) |
| 10 | 476377 | 18.6.13 | 216000 | स्टारवे इंटरनेशनल(टूल्स) |
| | कुल | | 2285000 | |

**लेखापरीक्षा अभियुक्ति**

(1) न0वि0ए0आ0वि0 के पत्रांक–927 दिनांक 6.9.12 के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूरी करने के उपरांत प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व संस्थाओं के साथ एकरारनामा की जानी चाहिए थी, पर संस्था द्वारा निर्धारित शर्त पूरा किए बिना एकरारनामा किया गया है।

(2) नगर पंचायत द्वारा स्टारवे इंटरनेशनल के साथ एकरारनामा किया गया था किन्तु न0वि0ए0आ0वि0 द्वारा दी गई सूची में इनका नाम तथा पता अंकित नहीं था । एकरारनामा की प्रति के अनुसार स्टारवे इंटरनेशनल नई दिल्ली के साथ आवश्यक शर्तों को उल्लेख नहीं किया गया है। स्टारवे इंटरनेशनल, नई दिल्ली के साथ बांकी तीन संस्थाओं से अलग एकरारनामा किस आधार पर किया गया था ।

(3) कृषि एजुकेशनल हेल्थ संस्थान द्वारा प्रशिक्षण देने संबंधी पत्र में पत्र सं0 तथा दिनांक नहीं पाया गया है । इसी प्रकार भोजपुर ग्रामीण विकास परिषद संस्था को प्रशिक्षण देने के संबंध में दिए गए आदेश में पत्रांक सं0 एवं दिनांक नहीं पाया गया था ।

(4) भोजपुर ग्रामीण विकास परिषद संस्थान के साथ एकरारनामा के लिए पत्रांक 21 मु0/न0प0 दिनांक 25.9.12 का उल्लेख किया गया है। परंतु उक्त पत्रांक द्वारा कृषि एजुकेशनल हेल्थ संस्थान को पत्र जारी किया गया था । पत्रांक 899 दिनांक 25.9.12 के अनुसार सरकार को भेजे गए पत्र में भोजपुर ग्रामीण विकास संस्थान का उल्लेख नहीं किया गया था। परंतु एकरारनामा इस संस्था द्वारा किया गया है । इसका आधार क्या था इसे स्पष्ट नहीं किया गया था।

(5) प्रशिक्षण देने वाली संस्था को टूल–किट्स के रूप में कुल रू0 864000 का भुगतान किया गया परंतु प्रशिक्षणार्थी द्वारा इनके प्राप्ति का कोई प्रमाण संचिका में नहीं था।

(6) प्रशिक्षण के उपरांत 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी को संस्था द्वारा रोजगार उपलब्ध कराना था परंतु संस्था द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने संबंधित कोई भी प्रमाण नहीं पाया गया ।

(7) नोटशीट के अनुसार विभिन्न संस्थाओं द्वारा कुल 340 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया गया। परंतु सरकार को कितने प्रशिक्षणार्थी की सूची भेजी गई, इसका स्पष्ट मंतव्य संचिका में नहीं पाया गया ।

जवाब दिया गया कि विभिन्न संस्थाओं को प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त भुगतान की गई है। जवाब समान्य सा दिया गया है आपत्ति के तथ्यो को जवाब द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया अतः जवाब का स्पष्टीकरण दिए जाने तक प्रशिक्षण में भुगतान की गई राशि ₹2285000 आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

## भाग–II (ख)

**3.बगैर सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के चार कर्मियों के वेतन का अग्रिम भुगतान किया जाना**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 36 में प्रावधान किया गया है कि धारा–41 के उपबंधों तथा नगरपालिका प्रशासन में अधिकतम संभावित मितव्ययिता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अध्यधीन, नगरपालिका में पदाधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे–

(1) (ख) नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के मामले में :–

(iii) नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

(iv) नगर वित्त पदाधिकारी,

(v) नगर अभियंता,

(vi) नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी, ;नगर सचिव, और

(vii) ऐसे अन्य पदाधिकारी जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय; परन्तु यह कि राज्य सरकार पूर्वोक्त पदाधिकारियों के पदों की संख्या कम कर सकेगा; परन्तु यह और कि राज्य सरकार पदाधिकारियों के पूर्वोक्त किसी पद को पुनः नामोनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) उपधारा– (1) में उल्लिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति या तो नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ऐसी अवधि के लिए की जायेगी, जैसा कि सशक्त स्थायी समिति आवश्यक समझे।

(4) उपधारा– (2) के उपबंधों के अध्यधीन विभिन्न पदों के लिए, उपधारा– (1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों की नियुक्ति, जैसा कि विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय – (क) अधिसूचना के माध्यम से सशक्त स्थायी समिति से परामर्श कर राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जायेगी, जो सरकार की सेवा में हो, या रहे हों, अथवा (ख) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सशक्त स्थायी समिति द्वारा ऐसे पदाधिकारियों के बीच से की जायेगी, जो किसी नगरपालिका की सेवा में हो या रहे हों, अथवा (ग) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और राज्य लोकसेवा आयोग के परामर्श से सशक्त स्थायी समिति द्वारा की जायेगी; परन्तु यह कि पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति ऐसी शर्त्त एवं बंधेज पर और प्रथमतः पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे; परन्तु यह और कि राज्य सरकार सशक्त स्थायी समिति के परामर्श से पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति की अवधि समय समय पर बढ़ा सकेगी।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्न धाराओं में पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया गया है–

39. पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते।– (1) धारा– 36 में निर्दिष्ट पदाधिकारियों समेत नगरपालिका के सभी पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को नगरपालिका निधि से वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे।